सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय उपखण्डअधिकारी एवंमजिस्ट्रेटकेकडीजिलाअजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 165/2017

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. श्रीमति सोहनी पत्नी श्री छीतरमल जाति मीणा
2. भंवरलाल पुत्र श्री छीतरमल जाति मीणा
3. शंकर पुत्र श्री छीतरमल जाति मीणा
4. सोहन पुत्र श्रीकल्याण जाति मीणा
5. कैलाश पुत्र श्रीकल्याण जाति मीणा
6. अर्जुन पुत्र श्री कल्याण जाति मीणा
7. रूकमा पत्नि श्रीसुखदेव जाति मीणा
8. उदयलाल पुत्र श्री सुखदेव जाति मीणा
9. भोजाराम पुत्र श्री सुखदेव जाति मीणा
10. नारायण पुत्र श्री उगमा जाति मीणा
समस्त जाति मीणा निवासीगण नाडी तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

————प्रार्थीगण

♠बनाम♠

1. श्रीमति कमला पत्नि मोहन जाति मीणा
2. मोहन पुत्र भूरा जाति मीणा
समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम मोडी तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

——————अप्रार्थीगण

4. श्रंगारी पुत्री श्रीकल्याण जाति मीणा पत्नि श्री रामचन्द्र
5. चन्दी पुत्री श्री कल्याण जाति मीणा पत्नि श्री भूरा
6. कमला पुत्री श्री कल्याण जाति मीणा पत्नि श्री मोहन
7. मन्नी पुत्री श्री कल्याण जाति मीणा पत्नि श्री अम्बालाल
समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम नाडी तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

——————प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक10.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प घटियाली में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है—

प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम नाडी तहसील सावर जिला अजमेर के जमाबन्दी संवत 2073—76 के खाता नम्बर 20 खसरा नम्बर 1617/5841, खाता नम्बर 680 खसरा नम्बर 1617, 1618, 1619, खाता संख्या 483 खसरा नम्बर 1599, 1599/5840, 1683/6348, खाता नम्बर 37 खसरा नम्बर 1597, 1598, खाता नम्बर 395 खसरा नम्बर 1600 भूमि जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जेकाश्त, स्वामित्व, आधिपत्य की आराजीयात है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात में आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 1604 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी की आराजीयात है, में से होकर जाता है एवं प्रार्थीगण की आराजीयात में आने—जाने का एक मात्र रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थीगण उनके पूर्वजों के समय से ही करते चले आ रहे है एवं इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अप ने खेत पर जाने हेतु बैल, गाडी, मवेशी, ट्रेक्टर, कृषि उपज लाते ले जाते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की नियत बद है वे बार—बार उक्त रास्ते में बाधा, व्यवधान उत्पन्न करते है, जिसके चलते बार—बार वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है व प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजीयात के उपयोग में कठिनाई आती है जिसके कारण प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रकरण में तहसीलदार सावर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त वाद में वादी भंवरलाल वगै. निवासी नाडी ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 1597, 1598, 1599, 1600, 1617 आदि में जाने हेतु ग्राम नाडी के ही अप्रार्थी मोहन पुत्र भूरा मीणा के आराजी खसरा नम्बर 1604 में होकर रास्ता चाहा है। मौके पर वर्तमान में खसरा नम्बर 1604 की उत्तरी पूर्वी मेड के पास में होकर पगढंडी बनी हुई है जबकि पूर्व में खसरा नम्बर 1604 के उत्तरी पूर्वी मेड की तरफ से प्रार्थीगण अपने खेतों पर आते जाते है तथा प्रार्थीगण व ग्राम वासियों के बताये अनुसार खसरा नम्बर 1604 में होकर पहले लगभग 8–10 फीट का रास्ता जाता था जिसे अप्रार्थी ने विगत डेढ दो वर्ष से बन्द कर दिया है। प्रार्थीगण का अपने खेतों की तरफ जाने का कम दूरी का और कोई रास्ता नही है। अतः प्रार्थीगण पूर्व में भी यंही से आते जाते रहे है। प्रार्थीगण ग्राम नाडी के सिवायचक खसरा नम्बर 1683 किस्म गै.मु. नाला में होकर खसरा नम्बर 1604 तक जाते है उसके बाद अप्रार्थी के खसरा नम्बर 1604 में होकर अपने खातेदारी खेतों में जाने का रास्ता चाहा है। प्राथीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है उसकी दूरी 140 मीटर है। अतः 140 मी. X 4 मी. = 560 वर्ग मी (0.06 हैक्ट) भूमि रास्ते के रूप में प्रस्तावित की गई है जिसकी डी.एल.सी. दर 236000 से गणना करने पर 236000 X 0.06 = 14160 रूपये बनती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः ग्राम नाडी के खसरा नम्बर 1604 रकबा 0.38 हैक्ट में से क्षेत्रफल 140 मी. X 4 मी. = 560 वर्ग मी (0.06 हैक्ट) के रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर 236000/– से गणना करने पर 236000 X 0.06 = 14160 की दुगनी कीमत से राशि 28320/– रूपये जमा राजकोष या अप्रार्थीगण को भुगतान कराने पर प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार निर्णय की पालना में राशि जमा राजकोष कर वर्तमान नक्शे में रास्ते की तरमीम कर पालना रिपोर्ट मय नकल जमाबन्दी, नक्शाट्रेस के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.5.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी